# FORM NO. III
## फर्द अहकाम
### ( नियम 26 )

जिला कलक्टर, बाड़मेर                                                     बाड़मेर

अज अदालत अपीलार्थी–भूरा राम भादू मुकाम उत्तरदाता– उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना

बनाम

किस्म मुकदमा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम नं. 94 सन् 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.08.2022 | अपीलार्थी भूरा राम भादू निवासी रेलों की बेरी उडासर धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 12.07.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष (ऑनलाईन) प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑनलाईन दिनांक 23.03.2022 की प्रति संलग्न की गई है।<br><br>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्धारित मयाद अवधि में प्रस्तुत नहीं होने से मयाद के बिन्दु पर जवाब हेतु अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपील के विलम्ब से प्रस्तुतं करने बाबत कोई संतुष्टिपरक कारण प्रकट किया गया है। फलतः यह अपील मयाद बाहर होने से श्रवणार्थ विचार योग्य प्रतीत नहीं होती है।<br><br>अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों व दाखिल दफ्तर हों।<br><br>Lok<br>जिला कलक्टर<br>बाड़मेर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:32 IST
Reason: SelfAttested